

डिक्री बमुकदमें ईत्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 515/2025

चरणजीत कौर पत्नी जगजीत सिंह जाति जटसिख साकिन 12 एम.जे.डी.
पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

---वादीया

बनाम

1. बलजिन्द्र कौर पत्नी हरपाल सिंह
 2. हरपाल सिंह पुत्र गुरमेल सिंह
 3. जसनदीप सिंह पुत्र हरपाल सिंह
 4. कनेरा बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा, संगरिया
 5. बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा, संगरिया
 6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया
- जाति जटसिख साकिन 12 एम.जे.डी.
पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

---प्रतिवादीगण

वादपत्र अं. धारा 88,53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 18.5.2026

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक वास्ते इनफिसाल कर्त्तई रोबरू हमारे
बहाजरी श्री कुलदीप सिंह मूण्ड अभिभाषक वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री सन्तोष
सोलकी अभिभाषक प्रतिवादीगण की उपस्थिति में मुताबिक राजीनामा यह डिक्री दी
जाती है कि

वादीया चरणजीत कौर पत्नी जगजीत सिंह जाति जटसिख साकिन 12 एम.जे.डी.
पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया की कब्जा एवं हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक नं. 12 एम.जे.डी. 28/73 जं.सं. 2070-2073

पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/184	45	1/3/0.005, 10/0.164 है.
		11/0.253, 20/2/0.084 है.
		कुल 0.506 है. कृषि भूमि।

उक्तानुसार वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता तकसीम कर
रकम राज अलग से कायम की जावे।

मुताबिक राजीनामा चक नं. 12 एम.जे.डी. खाता सं. 28/73 जं.सं. 2070-73 में
प्रतिवादी सं. 1 बलविन्द्र कौर का हिस्सा वादीया की हद तक 0.506 है. कम कर
अंकित किया जावे व इसी चक 12 एम.जे.डी. के खाता सं. 130/65 जं.सं.
2070-2073 में वादीया चरणजीत कौर का नाम कलमजन कर प्रतिवादीया सं. 1
बलविन्द्र कौर के नाम दर्ज किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन
किया जावें। नियमानुसार पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने
की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया
जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।


जय कौशिक
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया



निज...~~...~~निल...~~...~~मुब्लिक...~~...~~निल...~~...~~बाबत...~~...~~निल...~~...~~खर्चा मुकदमें
के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ~~...~~को
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.5.2016 को जारी
किया गया।




(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मुरौरिया
संगरिया